

मध्य प्रदेश शासन, भोपाल, दिनांक 17 मार्च 1983

825

No. 953 North Western corner of Comptt. No. 941, Western boundary of Comptt. No. 942, 940, 04, Southern boundary of Comptt. No. 934, 933, Eastern and Southern boundary of Buj village, Southern boundary of Comptt. No. 955, Eastern and Southern boundary of Comptt. No. 954 Southern boundary of Comptt. No. 958, 960, 969, 877, 876.

West—Edada river which makes the western boundary of Comptt. No. 974, 875 and 876.

By order and in the name of Governor Of Madhya Pradesh, I. B. LAL Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 1983

क. ५-१५-८२-८८-(२).—चूंकि राज्य शासन का यह विचार है कि नीचे दर्शाये गई सीमाओं में विनिर्दिष्ट क्षेत्र वन्य जीवों, वनस्पति जीव जन्तु प्राणों विज्ञान एवं उनके लिए आवश्यक पर्यावरण के संरक्षण विस्तार एवं विकास के लिये महत्व का है;

अतएव, वन्य प्राणों संरक्षण अधिनियम, १९७२ (क्रमांक 53 वर्ष. १९७२) की धारा ३५(१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राज्य शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान गठित करने का उद्देश्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला.—सिवनी तथा छिन्दवाड़ा

तहसील.—सिवनी, सांसर, अमरवाड़ा.

परिक्षेत्र.—पश्चिम खवासा, चौरई, बिछुआ.

वन मंडल.—दक्षिण सिवनी तथा पूर्व छिन्दवाड़ा.

राष्ट्रीय उद्यान का नाम.—पेंच.

क्षेत्रफल.—२६२, ८५७ वर्ग कि. मी.

सीमा विवरण

उत्तर.—पूर्व छिन्दवाड़ा वन मंडल के भारतक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक १८६, १६७ तथा दक्षिण सिवनी वन मंडल के १२, ११ २० ए. बी. सी. २१-४२, ४२, ५१ को उत्तरी सीमा.

पूर्व.—दक्षिण सिवनी वन मंडल के भारतक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक ५१, ५२, ५१, २२, ४०, ३६, ३८, २५, ३७, ३६, ३४, ३२ ३३ को पूर्वी सीमा.

दक्षिण.—महाराष्ट्र राज्य को सीमा लाईन.

पश्चिम.—पूर्व छिन्दवाड़ा वन मंडल के भारतक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक २३२, भारतक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक ५१ २८०—भा. अ. म. प्र. क्र. २४० का भाग, २३-८९ २३६९ भारतक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक

गी. व. शरदावत वन प्रकोष्ठ क्रमांक २२३२सी, २२३ बी, २२३-सी, २१६ ए, २१७, २१४, २१४, २१०, २०९ एवं २०८ २०२, २०३ का भाग, १८७, १८५, १८७, १८७, १७७, १७८, १७६, १८०, १८४, १८६, १८६ की परिधि पर सीमा.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. बी. लाल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक १ मार्च १९८३

क. ५-१५-८२-८८-(२).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३५८ के खण्ड (३) के अनुसार मैं इस विभाग की अधिसूचना क्र. ५-१५-८२ दस २, दिनांक १ मार्च १९८३ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. बी. लाल, उपसचिव

Bhopal, the 1st March 1983

No. 5-15-82-X-(2).—Whereas the State Government considers that the area specified in the Schedule below is of ecological, floral and Zoological importance for the purpose of protecting, propogating and developing wild life and its environment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35(1) of the Wild life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the State Government hereby declares its intention to constitute the areas specified below as National Park.—

SCHEDULE

District—Seoni, Chhindwara

Tahsil—Seoni, Saunsar Amarwara

Range—West Khawasa, Chautai and Bichhua Division—South Seoni and East Chhindwara

Name of National Park—Pench

Area—292.857 Sq. km.

Boundary description

North—North boundary of East Chhindwara division, Reserved forest Comptt. No. 186, 167, South Seoni Comptt. No. 12, 11, 20, A,B,C, 21, 42, 52, 51.

East—Eastern boundary of South Seoni division Reserved Forest Comptt. No. 51, 52, 41, 22, 40, 39, 38, 21, 37, 36, 34, 32, 33.

47

द्वारा प्रेषण की पूर्व-अदायगी के बिना  
जाने के लिए अनुमत.  
अधिसूचना-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.  
वि.पु.मु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595]

भोपाल, शुक्रवार दिनांक 16 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 25, शक 1927

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्र. एफ. 15-11-05-दस-2.—चूंकि, राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दिये गये परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, वन्यप्राणियों तथा उनके रहवास/पारिस्थिति के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के प्रयोजन के लिए पर्याप्त महत्त्व का है, अतः राज्य शासन एतद्वारा इस क्षेत्र को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2003) की धारा 35 (4) की द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए "इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान" जिला सिवनी व छिन्दवाड़ा के रूप में अंतिम रूप से अधिसूचित करता है:—

परिशिष्ट

सम्मिलित क्षेत्र:

1. जिला—सिवनी, छिन्दवाड़ा
2. राष्ट्रीय उद्यान का नाम—इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान
3. तहसील—सिवनी, चौरई, विद्युआ
4. वन परिक्षेत्र—पश्चिम खवासा, विद्युआ, चौरई
5. वनमण्डल—दक्षिण सिवनी, पूर्व छिन्दवाड़ा, दक्षिण छिन्दवाड़ा
6. क्षेत्रफल—292.857 वर्ग कि. मी.

सीमाएँ :

उत्तर—पूर्व में छिन्दवाड़ा वनमण्डल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 1421, 1422 तथा दक्षिण सिवनी वनमण्डल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 592, 591, 390ए, 593, 614, 617, 616 की उत्तरी सीमा.

पूर्व—दक्षिण सिवनी वनमण्डल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 616, 617, 613, 612, 611, 610, 596, 609, 608, 606 604 605 की पूर्वी सीमा.

दक्षिण—महाराष्ट्र राज्य की सीमा लाईन.

पश्चिम—दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 1465, संरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक पी-1474, आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 1473 (का भाग), 1470, 1472 संरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक पी-1456, आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 1454 बी एवं सी, 1453 बी, 1451, 1452, 1449, 1445, 1444, 1443 (का भाग), 1441 1442 ए, पूर्व छिन्दवाड़ा वनमण्डल के आरक्षित वन प्रकोष्ठ क्रमांक 1433, 1434, 1435, 1432, 1414, 1415, 1416, 1420, एवं 1421 की पश्चिमी सीमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एम. बेलवाल, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्र. एफ. 15-11-05-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा म विभाग की उक्त अधिमूचना का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एल. एम. बेलवाल, अपर सचिव,

Bhopal, the 16th December 2005

No. F. 15-11-05-X-2.—Whereas the State Government considers that the area specified in the schedule below is of ecological faunal, floral and zoological importance for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 35 (4) (b) of the Wildlife (Protection) Act 1972 (as amended in 2003), the State Government hereby finally notifies the area specified below as the "Indira Priyadarshini Pench National Park" in Seoni and Chhindwara district:-

#### SCHEDULE

Area included:

1. District—Seoni, Chhindwara
2. Name of National Park—Indira Priyadarshini Pench National Park
3. Tehsil—Seoni, Chaurai, Bichhua
4. Range—West Khawasa, Bichhua, Chaurai
5. Division—South Seoni, East Chhindwara, South Chhindwara.
6. Area—292.857 Square Kilometers.

Boundaries:

North—Northern boundary of East Chhindwara division reserved forest compartment number 1421, 1422, South Seoni division compartment number 592, 591, 390 A, 593, 614, 617 & 616.

East—Eastern boundary of South Seoni division reserved forest compartment number 616, 617, 613, 612, 611, 610, 596, 609, 608, 606, 604 & 605.

South—Boundary of Maharashtra State.

West—Western boundary of South Chhindwara division reserved forest compartment number 1405, protected forest compartment number P- 1474, reserved forest compartment number 1473 (part), 1470, 1472, protected forest compartment number P-1456, reserved forest compartment number 1454 B & C, 1453 B, 1451, 1452, 1449, 1445, 1444, 1443 (part), 1441, 1442 A, East Chhindwara division reserved forest compartment number 1433, 1434, 1435, 1432, 1414, 1415, 1416, 1420 and 1421.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

L. M. BELWAL, Addl. Secy.